झारखण्ड सरकार
पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग
(पंचायत राज निदेशालय)

झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली, 2011

अधिसूचना

जी0 एस0 आर0 — 1290 / रांची, दिनांक :— 24/9/11

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित **झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली, 2011** (जिसके प्रारूप का प्रकाशन धारा 131 की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार पूर्व में किया जा चुका है), का प्रकाशन करते हैं ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—

(क) यह नियमावली **झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली, 2011** कहलायेगी ।

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(ग) यह नियमावली राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. परिभाषायें :—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001;

(ख) "अनुमंडल पदाधिकारी" से अभिप्रेत है उस अनुमंडल का भारसाधक दण्डाधिकारी, जिसमें ग्राम पंचायत स्थापित हो, और इसके अन्तर्गत कोई अन्य दण्डाधिकारी, जिसे सरकार इस अधिनियम के अधीन (अनुमंडल) दण्डाधिकारी की सभी या किन्ही कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विशिष्ट रुप से नियुक्त करे;

(ग) "जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी जिले का दण्डाधिकारी/उपायुक्त और इनमें कोई अन्य पदाधिकारी शामिल है जिसे इस अधिनियम के अधीन जिला दण्डाधिकारी के सभी या किसी कार्य के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रुप से नियुक्त किया गया हो;

(घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है प्रमंडलीय आयुक्त या ऐसा पदाधिकारी जिसे इस अधिनिमय के अधीन आयुक्त की शक्तियों के प्रयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रुप से नियुक्त किया गया हो;

(ड.) "निर्वाचन" से अभिप्रेत है पंचायत के किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन;

(च) "निर्वाचन कार्यवाहियॉ" से अभिप्रेत है निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने से प्रारम्भ होने वाली (कार्यवाहियॉ) और ऐसे निर्वाचन का परिणाम घोषित किये जाने के साथ समाप्त होने वाली कार्यवाहियॉ;

(छ) "विहित पदाधिकारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाई गयी नियमावली के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशिष्ट श्रेणी एवं पद नाम का कोई पदाधिकारी;

(ज) "बैठक" से तात्पर्य है, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद या किसी स्थायी समिति की बैठक;

(झ) "बैठक स्थल" से अभिप्रेत है, पंचायत के बैठक के लिए नियत स्थान या ऐसा स्थान जहॉ तक सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं सदस्य/पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख एवं सदस्य/जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा यात्रा किया जाना अपेक्षित हो;

(ण) "सदस्य" से तात्पर्य है पंचायत समिति या जिला परिषद का गैर सरकारी सदस्य और इसके अन्तर्गत सह सदस्य भी है;

(त) "स्थायी समिति" से तात्पर्य है, पंचायत समिति/जिला परिषद की स्थायी समिति ।

(थ) "निवास स्थान" से अभिप्रेत है –

(i) ग्राम पंचायत के मामले में पंचायत के अन्तर्गत स्थान जहॉ मुखिया या उप मुखिया निवास करता है ।

(ii) पंचायत समिति के मामले में प्रमुख, उप प्रमुख एवं सदस्य द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को संसूचित ऐसा स्थान जहॉ वह निवास करता हो, यदि ऐसा स्थान पंचायत समिति क्षेत्र के भीतर हो तथा यदि उसका निवास स्थान पंचायत समिति क्षेत्र के बाहर स्थित हो तो पंचायत क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट निकटतम स्थान, एवं

(iii) जिला परिषद के अध्यक्ष के मामले में जिला परिषद का मुख्यालय तथा जिला परिषद के उपाध्यक्ष और सदस्य के मामले में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को संसूचित ऐसा स्थान जहॉ वह सामान्यतया निवास करता हो, यदि ऐसा स्थान जिला परिषद/पंचायत क्षेत्र के भीतर हो तथा यदि उसका वास्तविक निवास स्थान जिला परिषद क्षेत्र के बाहर स्थित हो तो जिला परिषद/पंचायत क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट निकटतम स्थान;

3. पंचायत के पदधारकों एवं सदस्य को प्रति माह भत्ता, बैठक शुल्क यात्रा भत्ता की दर निम्नवत होगी :–

क0	पदधारक का नाम	नियत (प्रतिमाह) भत्ता	दैनिक भत्ता	यात्रा भत्ता
1	2	3	4	5
1	जिला परिषद अध्यक्ष	10000/– रू0	150/–रू0	5/–रू प्रति0कि0मी0
2	जिला परिषद उपाध्यक्ष	7500/– रू0	150/– रू0	5/–रू प्रति0कि0मी0
3	पंचायत समिति के प्रमुख	5000/– रू0	150/– रू0	5/–रू प्रति0कि0मी0
4	पंचायत समिति के उप प्रमुख	3000/–	150/– रू0	5/–रू प्रति0कि0मी0
5	ग्राम पंचायत मुखिया	1000/–	150/– रू0	5/–रू प्रति0कि0मी0
6	ग्राम पंचायत के उप मुखिया	500/–	150/– रू0	5/–रू प्रति0कि0मी0
7	जिला परिषद सदस्य	—	150/– रू0	5/– रू0 प्रति कि0मी0
8	पंचायत समिति सदस्य	—	150/– रू0	5/– रू0 प्रति कि0मी0
9	ग्राम पंचायत सदस्य	—	150/– रू0	5/– रू0 प्रति कि0मी0

(i) यात्रा भत्ता के लिए दूरी की गणना निर्वाचित सदस्य के निवास स्थान पते से संबंधित पंचायती राज संस्थाएँ के मुख्यालय की वास्तविक दूरी के आधार पर की जायेगी ।

(ii) दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता सदस्यों को पंचायती राज संस्थाओं की सामान्य/विशेष/स्थायी समिति की बैठक में भाग लेने पर अनुमान्य होगा ।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला प्रतिनिधि, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है, को जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए 100/– रू0 प्रति बैठक की दर से विशेष मानदेय अलग से देय होगा ।

4. *देयक* :–

इस नियमावली के अधीन देय भत्तों का विपत्र :–

(i) ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया/सदस्य के लिए संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा ।

(ii) पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख/सदस्य के लिए संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा ।

(iii) जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के लिए संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा ।

5. **भत्तों के लिए दावा** :–

(i) इस नियमावली के अधीन किसी भत्ते का दावा उसके देय होने के छः मास के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ii) यदि दावा एक वर्ष के बाद प्रस्तुत किया जाता है तो दावेदार को प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में विलम्ब का कारण विपत्र में बतलाना होगा ।

6. ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद या उसकी स्थायी समिति के सदस्य समिति की बैठकों में उपस्थित होने पर प्रति सदस्य के लिए नियत दैनिक भत्ते को छोड़कर कोई अन्य भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे ।

परन्तु महीने में दो से अधिक दिनों तक बैठकों में उपस्थित होने के लिये कोई दैनिक भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

7. यदि जिला परिषद या उसकी स्थायी समिति के सदस्य जिला परिषद के अपने अधिक्षेत्र में रहते हों, किन्तु उनका निवास स्थान जिला परिषद के कार्यालय के स्थान से भिन्न हो तो उनके यात्रा भत्ता की गणना करने के निमित्त उनका निवास स्थान ही उनके लिये मुख्यालय समझा जायेगा ।

परन्तु यदि सदस्य का निवास स्थान जिला परिषद के कार्यालय से स्थान के (आठ किलो मीटर) से कम दूरी पर हो तो कोई विराम भत्ता या यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

8. यदि नियम 6 में निर्दिष्ट व्यक्ति जिला परिषद के अधिक्षेत्र के बाहर किसी स्थान में निवास करता हो तो वह संबद्ध जिला परिषद के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत की गई यात्रा के लिये ही यात्रा भत्ते का हकदार होगा ।

9. (i) किसी जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत या उसकी स्थायी समिति के सदस्य, जिनमें जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा पंचायत समिति के प्रमुख या उप प्रमुख एवं ग्राम पंचायत के मुखिया एवं उप मुखिया भी शामिल है, निम्न से पूर्व

अनुमति लेकर राज्य के भीतर किन्तु जिले के बाहर या राज्य के बाहर परिगोष्ठियों (सेमिनार), सम्मेलनों और बैठकों में शामिल हो सकेंगे :–

(क)	जिला परिषद और उसकी स्थायी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए ।	राज्य के भीतर किन्तु जिले के बाहर यात्रा के संबंध में आयुक्त की तथा राज्य के बाहर यात्रा के संबंध में राज्य सरकार की अनुमति।
(ख)	पंचायत समिति और उसकी स्थायी समितियों के प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए ।	राज्य के भीतर किन्तु जिले के बाहर यात्रा के संबंध में समाहर्त्ता की तथा राज्य के बाहर यात्रा के संबंध में राज्य सरकार की अनुमति ।
(ग)	ग्राम पंचायत और उसकी स्थायी समितियों के मुखिया, उप मुखिया और सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए ।	राज्य के भीतर किन्तु जिले के बाहर यात्रा के संबंध में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की तथा राज्य के बाहर यात्रा के संबंध में राज्य सरकार की अनुमति ।

(ii) उप नियम (i) में निर्दिष्ट यात्रा के लिये, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या उसकी स्थायी समितियों के सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता नियम 3 के दर से देय होगा ।

10. **(i) यात्रा भत्ता रेलगाड़ी से यात्रा/बस से यात्रा/अन्य साधनों से यात्रा:–**

क0	पदधारक का नाम	रेल द्वारा यात्रा	बस से यात्रा	अन्य साधन से यात्रा
1	2	3	4	5
1	जिला परिषद अध्यक्ष	जिस श्रेणी में यात्रा की गई हो उसमें आने एवं वापसी का किराया (अधिकतम AC-3)	किसी सार्वजनिक बस या सड़क से यात्रा करने पर आने एवं वापसी का वास्तविक किराया ।	5/–रू प्रति0कि0मी0
2	जिला परिषद उपाध्यक्ष	जिस श्रेणी में यात्रा की गई हो उसमें आने एवं वापसी का किराया (अधिकतम AC-3)	किसी सार्वजनिक बस या सड़क से यात्रा करने पर आने एवं वापसी का वास्तविक किराया ।	5/–रू प्रति0कि0मी0
3	पंचायत समिति के प्रमुख	वातानुकूलित – 3 श्रेणी का वास्तविक किराया	किसी सार्वजनिक बस या सड़क से यात्रा करने पर आने एवं वापसी का वास्तविक किराया ।	5/–रू प्रति0कि0मी0

4	पंचायत समिति के उप प्रमुख	वातानुकूलित – 3 श्रेणी का वास्तविक किराया	किसी सार्वजनिक बस या सड़क से यात्रा करने पर आने एवं वापसी का वास्तविक किराया ।	5/–रू प्रति०कि०
5	ग्राम पंचायत मुखिया	द्वितीय श्रेणी का वास्तविक किराया	किसी सार्वजनिक बस या सड़क से यात्रा करने पर आने एवं वापसी का वास्तविक किराया ।	5/–रू प्रति०कि०
6	ग्राम पंचायत के उप मुखिया	द्वितीय श्रेणी का वास्तविक किराया	किसी सार्वजनिक बस या सड़क से यात्रा करने पर आने एवं वापसी का वास्तविक किराया ।	5/–रू प्रति०कि०
7	जिला परिषद सदस्य	द्वितीय श्रेणी का वास्तविक किराया	किसी सार्वजनिक बस या सड़क से यात्रा करने पर आने एवं वापसी का वास्तविक किराया ।	5/– रू0 प्रति कि0मी0
8	पंचायत समिति सदस्य	द्वितीय श्रेणी का वास्तविक किराया	किसी सार्वजनिक बस या सड़क से यात्रा करने पर आने एवं वापसी का वास्तविक किराया ।	5/– रू0 प्रति कि0मी0
9	ग्राम पंचायत सदस्य	द्वितीय श्रेणी का वास्तविक किराया	किसी सार्वजनिक बस या सड़क से यात्रा करने पर आने एवं वापसी का वास्तविक किराया ।	5/– रू0 प्रति कि0मी0

(ii) निर्दिष्ट मासिक यात्रा भत्ते से भिन्न यात्रा भत्ते के विपत्र का भुगतान नियंत्रण पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के बिना नहीं किया जायेगा ।

(iii)(क) आयुक्त, जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नियंत्रण पदाधिकारी होगा।

(ख) समाहर्त्ता, पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख तथा जिला परिषद के सदस्यों के लिए नियंत्रण पदाधिकारी होगा ।

(ग) अनुमंडल पदाधिकारी, पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया के लिए नियंत्रण पदाधिकारी होगा ।

(घ) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए नियंत्रण पदाधिकारी होगा ।

(iv) स्वयं के वाहन द्वारा यात्रा :– स्वयं के वाहन द्वारा यात्रा अनुज्ञेय नहीं होगा ।

11. **पंचायती राज संस्था के वाहन से यात्रा :–**

(i) जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और किसी सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख को वाहन उपलब्ध कराया जाता है तो डीजल/पेट्रोल के खपत की मासिक सीमा होगी तथा ऐसे वाहन का अनुरक्षण समय–समय पर पंचायत राज निदेशालय (पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0) (विशेष प्रमंडल) विभाग) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार होगी ।

(ii) उपरोक्त उप नियम के अनुरूप पदधारक को वाहन उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता देय नहीं होगी ।

(iii) संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई वाहन संबंधित जिला परिषद की अधिकारिता के बाहर नहीं ले जाया जाएगा ।

12. **निधि :–**

(i) इस नियमावली के अधीन होने वाला व्यय जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्य को जिला परिषद को सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से होगा एवं पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख एवं सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं सदस्य को पंचायत समिति को सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से होगा ।

13. पंचायत समिति/जिला परिषद के किसी ऐसे सदस्य को जो राज्य विधान मंडल या संसद/या सरकार द्वारा गठित किसी समिति या बोर्ड का भी सदस्य है, तब तक कोई दैनिक भत्ता या विराम भत्ता अनुमान्य नहीं होगा जब तक वह अपने यात्रा भत्ता विपत्र के साथ इस संबंध में प्रमाण पत्र नहीं दे कि उसने उस अवधि के लिए राज्य राजस्व से इस तरह का कोई यात्रा भत्ता नहीं लिया है, जिस अवधि के लिये उसने पंचायत समिति/जिला परिषद की निधि से भत्ते का दावा किया है ।

परन्तु संसद अथवा विधानसभा के सत्र के दौरान सांसद या विधायक को जिला परिषद एवं पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेने के निमित्त क्रमशः दिल्ली या रॉची से यात्रा करने पर एवं यह प्रमाण पत्र देने पर कि संबंधित यात्रा के लिये उन्हें संसद/विधानसभा से कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, सांसद एवं विधायकों को यथास्थिति दिल्ली तथा रॉची से यात्रा भत्ता देय होगा ।

परन्तु यह भी कि जहॉ तक रेल सेवा उपलब्ध है, उसके लिये रेल यात्रा भत्ता ही अनुमान्य होगा ।

14. नियंत्रण पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उस यात्रा या विराम की आवश्यकता, बारंबारता और अवधि का परिनिरीक्षण करे जिसके लिए यात्रा भत्ता का दावा किया गया है। नियंत्रण पदाधिकारी किसी यात्रा या विराम के लिए दावा किए गये यात्रा भत्ता को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर सकेगा, यदि उसके विचार से वह यात्रा अनावश्यक हो या यात्रा समुचित तत्परता से पूरी नहीं की गई हो या वह विराम अत्यधिक अवधि तक किया गया हो, साथ ही वैसे यात्रा भत्ता बिलों में, खास कर सड़क से की गई यात्रा की दशा में प्रविष्टि दूरी का परिनिरीक्षण सावधानीपूर्वक करेगा ।

15. **कठिनाईयों को दूर करना** :– यदि इस नियमावली के नियमों को प्रभावी करने में कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसर के अपेक्षानुसार शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो कठिनाई दूर करने में उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

16. **निरसन** :– इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त समस्त तत्स्थानी नियम एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

प्रधान सचिव,
पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक :– 1स्था (वि0)– 79/2010 ......1290...... राँची, दिनांक :– 24/9/11

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

2. अनुरोध है कि प्रकाशन के तुरंत बाद इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ पंचायत राज निदेशालय, झारखण्ड, राँची को भेज दी जाय ।

प्रधान सचिव
पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0
(विशेष प्रमंडल) विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक :– 1स्था (वि0)– 79/2010 ......1290......... राँची, दिनांक :– 24/9/11

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल, के प्रधान सचिव, झारखण्ड/मुख्य सचिव, झारखण्ड/महाधिवक्ता, झारखण्ड/ सचिव, झारखण्ड विधान सभा/निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज/ सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/ सभी प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सभी प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी /सहायक सचिव (पंचायत समिति) को सूचनार्थ प्रेषित ।

24-9-11

प्रधान सचिव
पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0
(विशेष प्रमंडल) विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

प्रपत्र

(नियम 4 (ड़) एवं 5(ड़) देखिए)

दैनिक भत्ता यात्रा भत्ता दावे के लिये प्रपत्र

(1) पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम ....

(2) पदाधिकारी का नाम ....

(3) यात्रा की तारीख तथा उसका स्वरूप (..............................) से (..............................) तक

(4) अवधि जिसके लिए दैनिक भत्ता का दावा किया गया है ....

(5) संलग्न अभिश्रव..

(6) दावे की कुल राशि ....

(7) प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख ....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर लिखित जानकारी मेरे विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार सही है ।

....
प्रतिहस्ताक्षरित

....
हस्ताक्षर

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 335 राँची, बुधवार 30 वैशाख, 1937 (श०)

20 मई, 2015 (ई०)

पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग

अधिसूचना

19 मई, 2015

संख्या-1स्था(वि०) 79 / 2010/ जी० एस० आर०- 1483.-- झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 131 एवं धारा 146 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली (संशोधन) 2015 को प्रकाशित किया जाता है

झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली (संशोधन) 2015

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-**
   (i) यह नियमावली झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली (संशोधन) 2015 कहलाएगी ।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   (iii) यह सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. **झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली 2011 के नियम (3), (4) एवं 12 का संशोधन**
   (i) झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली 2011 के नियम (3) के कॉलम 3 के क्रम संख्या 7, 8 एवं 9 में रिक्त स्थान के जगह पर क्रमशः 1500/- 750 / - एवं 200/ - को समाविष्ट किया जाता है तदनुरूप संशोधित प्रारूप निम्न है :-

क्र०	**पदधारक का नाम**	**नियत (प्रतिमाह) भत्ता**	**दैनिक भत्ता**	**यात्रा भत्ता**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	जिला परिषद सदस्य	**1500**		
2	पंचायत समिति सदस्य	**750**		
3	ग्राम पंचायत सदस्य	**200**		

   (ii) झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली 2011 के नियम (4) () में शब्द प्रमंडलीय आयुक्त के स्थान पर शब्द जिला के उपायुक्त प्रतिस्थापित किया जाता है ।
   (iii) झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली 2011 के नियम (12) () के पश्चात निम्न प्रावधान सन्निहित किया जाता है :-
   (iv) सदस्यों को मानदेय का भुगतान अधिसूचना निर्गत की तिथि से देय होगा ।

(v) अधिसूचना के प्रथम वर्ष में मानदेय पर होने वाली व्यय राशि का 100 प्रतिशत दायित्व राज्य सरकार की होगी ।

(vi) दुसरे वर्ष में मानदेय पर होने वाली व्यय राशि का 80 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 20 प्रतिशत संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा तथा तृतीय वर्ष में होने वाली व्यय का 50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 50 प्रतिशत संबंधित संस्थाएँ अपने स्व-संसाधन से वहन करेगी चतुर्थ वर्ष से मानदेय पर होने वाली सम्पूर्ण व्यय का भार सदस्यों के संबंधित संस्था के द्वारा वहन किया जाएगा ।

(vii) पदधारकों/ सदस्यों के कर्तव्य एवं दायित्यों का अनुश्रवण पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा ताकि औचित्य निर्धारित किया जा सके ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
संचिका संख्या-1स्था(वि०) 79 / 2010
(ह0/-) अस्पष्ट,
निदेशक -सह- अपर सचिव,
पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी०
(विशेष प्रमण्डल) विभाग, झारखण्ड

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 335—50+500 ।